10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2011 जिला–सीधी R-1407-III/2011

पारसनाथं पुत्र श्री जगद्देव राम, निवासी ग्राम परसवार, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र)

——— आवेदक

विरूद्ध

1. बाल्मीक प्रसाद पुत्र श्री जगद्देव राम निवासी ग्राम परसवार, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा– कलेक्टर, जिला सीधी

———अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 682/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यह कि, ग्राम परसवार, तहसील चुरहट में स्थित भूमि नम्बर 461/1 रकवा 943 हैक्टेयर के जुज रकवा 0.440 हैक्टेयर शासकीय भूमि थी। उक्त भूमि पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा मकान बनाकर आबाद कर लिया था। तत्पश्चात् नायब तहसीलदार, तहसील चुरहट द्वारा पारित आदेश 30.06.1994 द्वारा प्रकरण में विधिवत प्रकिया का पालन किये बिना ही व्यवस्थापन आदेश अनावेदक कमांक 1 के हित में पारित किया गया था।

2. यह कि, नायब तहसीलदार, तहसील चुरहट द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 289/2006–07 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अपर कलेक्टर, जिला सीधी द्वारा आदेश दिनांक 03.09.2009 पारित किया गया। उक्त आदेश के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1407–दो/11 **जिला** सीधी

पारसनाथ विरूद्ध बाल्मीक प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –9–2016	आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी एवं अनावेदक अभिभाषक श्री अरविन्द पाण्डे द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 682/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 02–8–2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि नम्बर 461/1 रकवा 943 हे0 के जुज रकवा 0.440 हे0 शासकीय भूमि थी, जिसके व्यवस्थापन हेतु अनावेदक कमांक 1 बालमीक प्रसाद द्वारा भूतपूर्व फौजी सैनिक होने के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार चुरहट ने दिनांक 30–6–94 के द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में व्यवस्थापन स्वीकृत किया गया। इस व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध आवेदक पारसनाथ द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष लगभग 10 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 03–9–09 के द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में हुआ व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया कि आवंटन के लए जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें भूतपूर्व सैनिक होने का कोई प्रमाण अंकित नहीं है। इश्तहार जारी नहीं किया गया और न ही ग्राम पंचायत से अभिमत लिया गया है। अनावेदक कमांक	

1 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 02–8–2011 के द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदक कमांक 1 के व्यवस्थापन/बंटन आदेश को शून्य व प्रभावहीन करने संबंधी व्यवहारवाद कमांक 114ए/05 दिनांक 10–10–07 पेश किया गया था जिसमें निर्णीत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि न तो जगदेवराम की स्व0 अर्जित संपत्तियां थी और न ही कोई पैत्रिक संपत्ति है तथा वादग्रस्त भूमियों में आवेदक का कोई हक नहीं है तथा अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में जो व्यवस्थापन/बंटन का आदेश पारित किया गया है वह कतई अवैधानिक अथवा शून्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के भाग 3 (अ) के उपखण्ड 5 के अधीन जो बंटन किया गया था उसमें प्रीमियम आदि जमा कराकर भूमि का बंटन भूतपूर्व सैनिक के पक्ष में किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा किये गये व्यवस्थापन आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त एवं व्यवहार न्यायलय से हो चुकी है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 02–8–2011 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य